


फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

राधेनाथ वनाम श्रीमती सायरी (वार्डा)

किस्म मुकदमा प्रावपत्र 111-128 नं० 177 सन 2022

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
6-12-22	<p>वाद / <u>प्राथेनापत्र</u> वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 10.12.22 को पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
10 ¹ / ₂₃	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिले शाप किये गये। विपक्षीगण को छितनी बार कक-कक कर आवाजे डिलायी जाने के पश्चात भी उपस्थित नहीं। उनके बिकह एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आर्डेर दिये जाते हैं वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी का प्रावपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्कसे लिखा जाकर शाप किया गया। पत्रावली फं सल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



